भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3505
13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में जननी सुरक्षा योजना

+3505. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) की वर्तमान स्थिति क्या है, और पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की जिलावार संख्या कितनी है;
(ख) उक्त राज्य में उपरोक्त अवधि के दौरान जेएसवाई के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि कितनी हैं;
(ग) उक्त राज्य में जेएसवाई के अंतर्गत संस्थागत सुविधा के तहत कराए गए प्रसवों की संख्या कितनी है और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कमी बताई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि विशेषकर देश के सुदूर और अल्प सेवित क्षेत्रों में पात्र गर्भवती महिलाओं को समय पर नकद सहायता प्राप्त हो सके; और
(ङ) सरकार द्वारा राज्य में हाशिए पर रहने वाली और कमजोर आबादी के लिए मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) की स्थिति के बारे में तमिलनाडु राज्य से इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त जिलावार विवरण **अनुलग्नक-I** में है।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के लिए निधि का आवंटन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली के

सुदृढ़ीकरण हेतु लचीले निधि कोष के भाग के रूप में किया जाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जेएसवाई के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य से प्राप्त स्वीकृतियों और व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

(ग) तमिलनाडु राज्य से प्राप्त जेएसवाई के अंतर्गत संस्थागत प्रसवों की संख्या, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रसव भी शामिल हैं, का विवरण **अनुलग्नक-III** में है।

(घ) पात्र गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से दूरस्थ और अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में, को नकद सहायता का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने डिजिटलिकरण और बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकरण के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। इस योजना को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ढांचे के अंतर्गत भी अधिसूचित किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार ने तमिलनाडु की हाशिए पर स्थित और असुरक्षित आबादी सहित पूरे देश में समान मातृ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए हैं। प्रमुख कार्यकलापों में शामिल हैं:

• जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) **संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक मांग प्रोत्साहन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।**

• जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) **के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला और बीमार शिशु जन स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क प्रसव (सीजेरियन सेक्शन सहित) के साथ ही निःशुल्क परिवहन, निदान, दवाएं, रक्त, अन्य उपभोग्य वस्तुएं और आहार के हकदार हैं।**

• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) **के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को हर महीने की** 9 **तारीख के निश्चित दिन विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच की सुविधा प्रदान की जाती है।**

उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव होने तक व्यक्तिगत निगरानी के लिए विस्तारित पीएमएसएमए (ई-पीएमएसएमए) **कार्यनीति शुरू की गई ।**

• लक्ष्य योजना **प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और तत्काल प्रसवोत्तर अवधि में सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या मिले।**

• **सुरक्षित** मातृत्व आश्वासन (सुमन) **का उद्देश्य जन स्वास्थ्य केंद्र में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को नि:शुल्क और सेवा प्रदायगी से इंकार के प्रति शून्य-सहिष्णुता के साथ सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है, ताकि सभी रोकी जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को समाप्त किया जा सके।**

• प्रसवोत्तर परिचर्या अनुकूलन **का उद्देश्य माताओं में खतरे के लक्षणों की पहचान पर ध्यान देकर और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशा) को उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं की शीघ्र पहचान, रेफरल और उपचार के लिए प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को बेहतर करना है।**

• ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) **आंगनवाड़ी केंद्रों में एक मासिक जागरूकता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आईसीडीएस के समन्वय से पोषण सहित मातृ एवं शिशु परिचर्या प्रदान करना है।**

• **स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को बेहतर बनाने के लिए, विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में,** जागरूकता शिविर **आयोजित किए जाते हैं। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक लामबंदी करने और उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की निगरानी करने के लिए किया जाता है।**

• **दुर्गम भू-भाग, दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों तक पहुंच में सुधार लाने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक रेफरल इकाइयों (एफआरयू), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग, प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों और गहन परिचर्या इकाइयों (ऑब्स्टेट्रिक एचडीयू और आईसीयू), प्रसव प्रतीक्षा गृहों (बीडब्ल्यूएच) सहित** अवसंरचना को सुदृढ़ **करना।**

दिनांक 13.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3505 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक - I

तमिलनाडु में जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या				
क्र. सं.	**ज़िला**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	अरियालुर	2,010	1,064	4,622
2	चेंगलपट्टू	10,170	9,373	10,018
3	चेन्नई	47,338	35,655	38,928
4	कोयंबटूर	9,393	8,829	12,497
5	कुड्डालोर	11,796	11,971	14,427
6	धर्मपुरी	11,096	9,773	10,907
7	डिंडीगुल	7,565	3,721	11,962
8	इरोड	4,080	7,882	5,749
9	कल्लाकुरिची	14,187	13,663	11,977
10	कांचीपुरम	7,654	4,800	5,603
11	करूर	5,792	5,188	5,133
12	कृष्णागिरी	13,097	12,835	8,769
13	मदुरै	11,638	3,059	16,930
14	माइलादुत्रयी	3,722*	176	5,324
15	नागपट्टिनम		3,909	3,093
16	नागरकोइल	7,546	6,879	5,816
17	नमक्कल	5,641	8,058	9,758
18	पेरम्बलुर	4,013	2,022	4,356
19	पुदुक्कोट्टई	6,155	6,436	12,205
20	रामनाथपुरम	3,257	1,047	7,720
21	सलेम	26,856	11,893	19,074
22	शिवगंगा	11,968	5,788	6,662
23	तेनकासी	4,721	4,781	6,434
24	तंजावुर	22,585	20,834	19,279
25	नीलगिरी	3,331	3,125	2,694
26	थैनी	11,329	9,560	11,660
27	थीरूपत्तूर	11,443	6,205	12,839
28	तिरुचिरापल्ली	7,982	6,405	15,073

29	तिरुनेलवेली	10,970	7,538	10,177
30	तिरुपुर	10,424	9,677	10,744
31	तिरुवल्लूर	6,208	3,487	12,999
32	तिरुवन्नामलाई	17,753	16,637	16,107
33	तिरुवरुर	5,928	6,104	7,187
34	तूतीकोरिन	12,705	8,353	11,074
35	वेल्लोर (रानीपेट सहित)	17,589	9,928	10,246
36	विल्लुपुरम	10,783	10,418	12,724
37	विरुधुनगर	7,502	9,957	13,316

स्त्रोत: तमिलनाडु राज्य द्वारा किए रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े।

*मायलादुथुराई और नागपट्टिनम दोनों जिलों के लाभार्थियों सहित विवरण शामिल हैं।

दिनांक 13.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3505 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक - II

जननी सुरक्षा योजना के तहत तमिलनाडु राज्य के लिए अनुमोदित व्यय का विवरण		
वित्तीय वर्ष	**राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन (रुपये लाख में)**	**व्यय (लाख रुपये में)**
2022-23	3353.93	2660.00
2023-24	3453.93	2385.29
2024-25	2742.22	3340.17 **(एसपीआईपी अनुमोदन के अतिरिक्त व्यय कमिटेड फंड से किया गया)**
स्त्रोत: तमिलनाडु राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया विवरण।		

दिनांक 13.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3505 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक - III

तमिलनाडु में, ग्रामीण इलाकों सहित, जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव का विवरण	
वित्तीय वर्ष	**तमिलनाडु में जननी सुरक्षा योजना के तहत (लाभार्थियों की संख्या) संस्थागत प्रसव की कुल संख्या**
2022-23	3,86,227
2023-24	3,07,025
2024-25	4,04,068
स्त्रोत: तमिलनाडु राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया विवरण	